उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-60/1100/एक-1-2016-5(47)/2016

लखनऊः दिनाँकः 19 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम सालारपुर खादर परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्वनगर स्थित कुल 11 गाटा रकबा 2.1900 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-। राज्य सरकार, ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा गॉव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा हो, खेती करता हो, इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-14/एक-6-2015-रा0-6-571(एम)/14, दिनाँक 19.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रश्नगत भूमि नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ हस्तान्तरित करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्वनगर	दादरी	दादरी	सलालपुर खादर	166	0.0200	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					167	0.0150	
3					168	0.0080	
4					169	0.0150	
5					170	0.0060	
6					171	0.0330	
7					172	0.0330	
8					180	1.4430	
9					190	0.4430	
10					191	0.0760	

-2-

shasnadesh.up.nic.in

11					196	0.0980	
				योग	**कुल 11 गाटा**	**2.1900 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु हस्तान्तरित भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1100(1)/एक-1-2016-5(47)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-2234/डीएलआरसी/2014-15, दिनॉक 17.11.2014 के सन्दर्भ मे।
5. प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नोयडा, जनपद गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-नोएडा/भू-लेख/16/13234 दिनॉक 02.08.2016 के सन्दर्भ में।
6. राजस्व अनुभाग-6
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in